



2026:AHC:48272

**उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  
रिट - सी सं. - 7322 वर्ष 2026**

राजू सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : विनीत कुमार सिंह  
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया**

1. वर्तमान रिट याचिका में वाद संख्या-01423 वर्ष 2020, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी202006350401423 में पीठासीन अधिकारी/तहसीलदार, तहसील-कालपी, जनपद जालौन द्वारा पारित दिनांक 29.10.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त आदेश एक गैर-वक्तव्यात्मक आदेश है तथा इसे याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में, उसकी पीठ पीछे पारित किया गया है, अतः उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करता है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
4. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि उपर्युक्त आदेश एकपक्षीय है तथा याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे पारित किया गया है, तो तो याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष ही प्रत्याहार आवेदन दायर करना चाहिए या वैकल्पिक रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के तहत प्रावधानित अपील दाखिल करनी चाहिए।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

**(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)**

**10 मार्च, 2026**

**प्रमोद त्रिपाठी**

